कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 134/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.04.2026

थाना मुबारकपुर पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल/गिरफ्तार।

दिनांक 03.04.2026 की रात्रि में थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्लामपुरा में पडोसी द्वारा आपसी विवाद में चाकू मारकर वादी के पुत्र को गंभीर रूप से किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल व अन्य सामग्री बरामद

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 04.04.2026 को वादी नौशाद अहमद पुत्र मो0 इलियास, निवासी मोहल्ला इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गई कि उसका पडोसी इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान, निवासी इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा आपसी विवाद में वादी के पुत्र मो0 हस्सान को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 128/2026 धारा 109(1) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान मो0 हस्सान की मृत्यु हो जाने पर उक्त मुकदमे को धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी इस्लामपुरा वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.04.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग/गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर दामोदरपुर मार्ग पर घेराबंदी की गई। संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गई, किन्तु अभियुक्त द्वारा पुनः फायरिंग का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के बांये पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का विवरण-

01. इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस
03. एक अदद खोखा कारतूस
04. एक अदद मोबाइल फोन
05. एक अदद सफेद धातु की बिछिया
06. घटना में प्रयुक्त चाकू

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.04.2026 को उसने आपसी विवाद में मो0 हस्सान को चाकू मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तारी से बचने हेतु वह फरार चल रहा था तथा पुलिस से बचने के लिए फायरिंग की।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 129/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 128/2026 धारा 103(1) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।
02.मु0अ0सं0 129/2026 धारा धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट मुबारकपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी व मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह
02. व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह
03. उ0नि0 सौरभ सिंह मय हमराह